

प्रशासन गांव के संग अभियान 2021  
मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिवाना  
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान- 2021 शिविर स्थल - कुसीप )

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती कुसुमलता चौहान , उपखण्ड अधिकारी सिवाना  
वादी :-

1. भीखाराम पुत्र वोताराम जाति रबारी निवासी कुसीप तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. करनाराम पुत्र वोताराम जाति रबारी निवासी कुसीप
2. कालूराम पुत्र वोताराम जाति रबारी निवासी कुसीप
3. चेनाराम पुत्र वोताराम जाति रबारी निवासी कुसीप
4. भगाराम पुत्र वोताराम जाति रबारी निवासी कुसीप
5. भोपाराम पुत्र वोताराम जाति रबारी निवासी कुसीप
6. मोरो देवी पत्नी वोताराम जाति रबारी निवासी कुसीप
7. झूंझाराम पुत्र भोलाराम जाति रबारी निवासी कुसीप
8. टिकमाराम पुत्र भोलाराम जाति रबारी निवासी कुसीप
9. बूटी दवी पत्नी राणाराम जाति रबारी निवासी कुसीप
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर

दावा पत्र बाबत घोषणा एवं निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 05 / 2021

निर्णय दिनांक :- 20.10.2021 (केम्प-ग्राम पंचायत मुख्यालय कुसीप )

वादीगण की ओर से वादीगण वकील श्री कपिल श्रीमाली की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को श्रीमती कुसुमलता चौहान उपखण्ड अधिकारी, सिवाना के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादीगण का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा कुसीप पटवार मण्डल कुसीप तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 349 रकबा 3.2375 हैक्टर भूमि में वादी 1/12 हिस्सा ,प्रतिवादी संख्या 9 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का प्रत्येक का 1/24-1/24 हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। खर्चो पक्षकारन अपना-अपना वहन करे।

आज तारीख 20.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



क्रमांक: वाचक/2021/205

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना

( कुसुमलता चौहान )

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना  
प्रशासन गांव के संग अभियान- 2021

दिनांक :- 22.10.21



( कुसुमलता चौहान )

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना  
प्रशासन गांव के संग अभियान- 2021